

**मांग संख्या 15**  
**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र में तालाब का निर्माण/संतुलित एवं समन्वित परिपूरक आहार हेतु राशि रूपये 40.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 2**

छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना के अंतर्गत हाईस्कूल भवन एवं सामुदायिक भवन के कार्यों को नवीन कार्य के रूप में शामिल किया गया है । इस कार्य के लिये रूपये 233.00 लाख का व्यय संभावित है जो कि विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

ग्राम विकास योजना के अंतर्गत व्यावसायिक परिसर ( अटल बाजार) निर्माण कार्य को नवीन कार्य के रूप में शामिल किया गया है । इस कार्य के लिये रूपये 135.00 लाख का व्यय संभावित है जो कि विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।